

तारखे हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

नो व तारीख अहकाम जो
इस हुकम की तारीख में
जारी हुए



न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 14/2023 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2013/00065)

अनवान:


1. रुकमा पुत्री धन्नी पुत्री चौखाराम जाति मेघवाल निवासी भादवां तहसील लूनकरणसर वगैरह।

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र पूराराम पुत्र चौखाराम जाति मेघवाल निवासी भादवां तहसील लूनकरणसर वगैरह।

10/7/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 13 के निमित्त सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 08.05.2013 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1)(2) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 10.07.2024 को सुनाया गया।


(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर